कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0–.....113...../2016

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0निति–119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांकः– 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914 / रा0, दिनांकः–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी ।जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा...समुन्दर...थाना नं0 ...27... खाता नं0...36...खेसरा नं0...267... ...रकबा...0-60...एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास ,अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या...I...के पृष्ठ संख्या ...99...पर जमाबंदी रैयत...सुना मुण्डा... ....पिता/ पति...मोगो मुण्डा... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उदेश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख दिनांक...15/10/2020... को रखें। लिखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा अंचल अधिकारी	

देश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। जमाबंदी रैयत सुना मुण्डा पिता मोगो मुण्डा एवं उनके वंशजों के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन एंव चेक लिस्ट में प्रतिवेदित किया है कि

- जमाबंदी रैयत का विषयांकित भूमि पर दखल नहीं है। एंव खेती बारी करते नहीं पाया गया।
- भूमि का वर्तमान स्वरूप खाली परती है।

प्रतिवेदनानुसार सर्वे खतियान खाता सं0 36 गैरमजरूआ खास दर्ज है। मांग पंजी 2 के भाग सं0 1 पृष्ट सं0 99 में दर्ज रैयत सुना मुण्डा पिता मोगो मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी मौजा समुन्दर थाना न0 27 खाता सं0 36, प्लॉट सं0 267 रकबा 0.60 एकड भूमि का आधार दर्ज नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक, एंव अंचल निरीक्षक के स्थानीय जॉच में भी यह स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी रैयत का खाता सं0 36 प्लॉट सं0 267 रकबा 0.60 एकड भूमि में दखल नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एंव अंचल निरीक्षक के मंतव्य का अवलोकन किया जंमाबंदी रैयत सुना मुण्डा पिता मोगो मुण्डा साकिन समुन्दर के द्वारा पूर्व से अब तक जमाबंदी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य कार्यालय मे उपलब्ध नही कराया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, एंव अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किये है कि विषयांकित भूमि पर दखल नहीं है। एंव खेती बारी करते नहीं पाया गया। पंजी 2 रैयत सुना मुण्डा पिता मोगो मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी मौजा समुन्दर थाना न0 27 खाता सं0 36 प्लॉट सं0 267 रकबा 0.60 एकड भूमि का वर्ष 1988–89 से बिना आधार का जमाबंदी कायम है लेकिन साक्ष्य के रूप मे पर्याप्त अधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। सर्वे खतियान खाता सं0 36 गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है। जमाबंदी रैयत अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त उक्त जमाबंदी के पक्ष में कोई साक्ष्य / दस्तावेज अंचल कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है। जिस कारण स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त भूमि जमाबंदी रैयत को किस प्रकार प्राप्त हुआ। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के आलोक में मौजा समुन्दर, थाना न0 27 खाता सं0 36 प्लॉट सं0 267 रकबा 0.60 एकड भूमि ,नियमितिकरण नहीं की जा सकती है। उक्त कारणो के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।

लेखापित संशोधित।

15/10/2020

अंचल अधिकारी

15/10/2020

अंचल अधिकारी